<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्य -34/1210/52-3-14-बजट(9)/2013</u>

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,

संयुक्त सचि ,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण ,

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ □□□□-3, □□□□: दिनांक 04 अगस्त, 2014

विषयः-वर्ष 2013-14 में मेडिकल/इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षापूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके प 0-1050/□0□0□0□□0/□□□□/ 2013, दिनांक 27.6.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में मेडिकल/इंजीनियरिंग व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु आयोजनेत्तर आ - व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 15,00,000/-(रू0 पन्द्रह लाख मा) के सापेक्ष गत वित्तीय 2013-14 में नियमानुसार चयनित 40 अभ्यर्थियों जिन्हें गत वित्तीय वर्ष में आर्दश चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाने के कारण लाभान्वित नही किया जा सका , को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक से लाभान्वित किये जाने े 0 6,00,000 □□ (रू0 छः लाख मा) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धो के

http://shasanadesh.up.nic.in

अधीन स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यप महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किय □□□ तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नही किया □□□□

2- जिस प्रयोजन हेतु उक्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है,उसी प्रयोजन पर व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में इस धनराशि को अन्य प्रयोजन हेतु पुर्नविनियोग नही किया जायेगा।

3- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण 31 अक्टूबर, 2014 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख -48 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्य -□□□□त्तर-80-सामान्य-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को स -03-अल्पसंख्यकों का कल्या -0305-मेडिकल/इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षापूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु अनुदान-20-□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□) □□□□□□□ □□□□

3- □□ □□श वित्त विभाग के अशासकीय संख्य -□-11-958/□□-2014, दिनांक 01 अगस्त, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

[redacted]

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव

संख्या-1210(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी,
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद 704 □□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -1

आज्ञा से,

(vkj0,u0 f}osnh)
□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in